न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00420 (303/2018) 223 आरटीएक्ट

फुसाराम पुत्र गुरूमुखराम जाति मेघवंशी निवासी बणी तहसील राणीया जिला सिरसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. काशीराम पुत्र फुसाराम जाति मेघवंशी निवासी बणी तहसील राणीयॉ जिला सिरसा।
2. कौशल्या पुत्री फुसाराम पत्नी भजनलाल जाति मेघवाल निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला हनुमानगढ।
3. कुलदीप पुत्र माता कलावती पुत्री फुसाराम पत्नी गोपीराम नाबालिग जरिये संरक्षक गोपीराम मेघवाल निवासी मिर्जावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 17.05.2018 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र. सं. 171/2018 बअनवानी काशीराम बनाम फुसाराम आदि

श्री महेश चंद शर्मा अपीलाण्ट की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक – 25.02.2020

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत एक वाद यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि गुरमुख मृतक के तीन लड़के फुसाराम, रामकुमार, मनीराम हुए। फूसाराम के काशीराम, कौशल्या, कलावती हुई। रोही मौजा चक 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 24/18 की कुल 38 बीघा की 9.6140 है0 भूमि गुरमुख वल्द सरदारा का 320 हिस्सा है जो गुरमुख की पैदा करदा व स्वअर्जित भूमि है अर्थात दादालाई व हिन्दु मुश्तरका खानदान की जद्दी जायदाद है, जिसे वादी व प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का ब0हि0ब0 पैदायशी खातेदारी हक है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने भाईयों के साथ कर्ता खानदान होने से 320 हिस्सा ब0हि0ब0 अर्थात 1/3 हिस्सा भूमि कतई गलत दर्ज करवा ली उक्त 1/3 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का प्रतिवादी सं0 1 के साथ ब.हि.ब. के खातेदार है। वादी ने वादपत्र में वर्णित हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा।

2. रेस्पोडेण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड भेजे गये उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि वाद भूमि दादालाई व पैतृक ना होकर अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि थी किन्तु अपीलाण्ट ने अपने पिता के नाम बैयनामा करवा दिया था और पिता गुरमुख ने तीनों भाईयों के नाम से वसीयतनामा करवा दिया था। गुरमुख की मृत्यु दिनांक 16.02.1988 को होने के पश्चात् वसीयत नामा के आधार पर जरिये इन्तकाल सं0 94 दिनांक 15.03.1988 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी इसलिए ये भूमि किसी भी प्रकार से पैतृक न होकर वसीयत से अपीलाण्ट को प्राप्तशुदा भूमि है जिसका इन्तकाल विरास्तन दर्ज न होकर वसीयत के आधार पर दर्ज हुआ है जिसमें किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है ना ही हक की घोषणा करा पाने का अधिकारी है। वसीयत आज भी प्रभावी है आज तक वसीयत कैन्सिल करने या निष्प्रभावी करने का दावा सिविल न्यायालय में नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में वाद के जरिये घोषणा करा पाने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट पर कभी कोई तामील नहीं हुई ना ही कोई रजि. डाक व ऐडी (पावती रसीद) पत्रावली में है जिससे साबित हो कि अपीलाण्ट को कोई तामील हुई है। मातहत अदालत ने रजि. सम्मन का कोई आदेश नहीं दिया था ऐसी सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही करना विधि विरूद्ध है। स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 जो सदैव अपने माता–पिता के साथ मारपीट व दंगा करता रहता है गांव परलीका के कुछ पारीवारिक लोगों के प्रभाव में आकर सारी कार्यवाही का फर्जी रजि. सम्मन दिखाकर एकपक्षीय डिक्री हासिल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 का वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था। वाद में रेस्पोडेण्ट ने प्रश्नगत चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 24/18 में कुल 9.6140 है0 भूमि जो कि पैतृक सम्पति बताते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बहिब के हक हिस्सा होने का कथन करते हुए घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी नोहर ने अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 17.05.2018 के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया है। **अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि दादालाई व पैतृक ना होकर अपीलाण्ट की खरीद शुदा भूमि है किन्तु अपीलाण्ट ने अपने पिता के नाम बैयनामा करवा दिया था गुरमुख की मृत्यु होने पर वसीयतनामा के आधार पर जरिये इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है । इन्तकाल भी विरास्तन दर्ज न होकर वसीयत के आधार पर दर्ज हुआ है जिसमें किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है। अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों की पुष्टि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम 15 एनटीआर–ए पटवार हल्का परलीका की प्रमाणित प्रति से होती है जोकि अपील में प्रस्तुत हुई है। इसके कालम सं0 16 में वसीयत नामे के अनुसार इन्तकाल चढाया जाने का अंकन दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के नाम प्रश्नगत भूमि वसीयत के आधार आई है। वसीयत को किसी न्यायालय में निष्प्रभावी किये जाने के बाबत कोई तथ्य सामने नहीं आया है। अतः अपीलाण्ट एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।** जिसको विधि सम्मत तामील करवाये बिना एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर उसके हक हिस्से की कृषि भूमि को रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट जो कि एक अभिलिखत खातेदार काश्तकार है को अधीनस्थ न्यायलाय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2018 व संशोधित डिक्री दिनांक 13.08.2018 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पारित करे। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2020 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रामणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.12 16:13:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: